न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 376
दायरा तिथि : 07.10.2024
आदेश तिथि : 18-03-2025
प्रार्थी :–

हिम्मतसिंह राठौड पुत्र भंवरसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर तहसील जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली
2. गुडिया पुत्री चुनारामजी जाति भील निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 18-03-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1054 / 349 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 349 रकबा 44.4900 व खसरा नंबर 350 रकबा 0.8500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे यलो फ्लोरोसेंट रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक / राजस्व / 2024 / 2952 दिनांक 23.12.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कटान मार्ग खसरा नंबर 350 से आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रूप से रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु उपयुक्त एवं इकलौता रास्ता है। एक अन्य विकल्प मार्क ए से डी है, लेकिन उक्त विकल्प मौके पर पथरीला है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता का ही उपयोग किया जा रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम नहीं है, एक अन्य विकल्प मार्क ए से डी निकटतम है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	349	44.4900 हैक्टर	बारानी सोयम	826X9=7434 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

अन्य विकल्प :– यह है कि रास्ते हेतु अन्य वैकल्पिक प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1011 / 349	0.4000 हैक्टर	बा.सो.	143X9=1287 वर्गमीटर	गुडिया पुत्री चुनाराम जाति भील निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
2	349	44.4900	बा.सो.	376X9=3384 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक नाना द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि के खसरा नंबर 349 व 1011 / 349 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,51,310रु / – रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार ...02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/376

अनवान हिम्मतसिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता के खसरा नंबर 1011/349 के खातेदार की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। खसरा नंबर 1011/349 के खातेदार गुडिया की ओर से वकील श्री स्ताराम राठौड ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पास धारित कृषि भूमि अल्प मात्रा मे है एव अप्रार्थी लघु व सीमांत कृषक की श्रेणी में होने के साथ साथ एक अनुसूचित जनजाति की महिला भी है तथा परिवार का भरण पोषण भी उपरोक्त कृषि भूमि पर ही निर्भर है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1054/349 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही है। प्रार्थी को खसरा नंबर 1011/349 से रास्ता दिया जाने पर अप्रार्थी को अत्यधिक क्षति होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थी को आवागमन हेतु खसरा नंबर 349 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना कमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1054/349 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 349 रकबा 44.4900 हैक्टर मे से **7434 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
349	44.4900 हैक्टर	826X9=7434 वर्गमीटर	16	118944X2=237888	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 237888/- (अक्षरे दो लाख सैंतीस हजार आठ सौ अठासी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के पश्चात नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 18-03-25

क्रमांक/कोर्ट/2025/243-247

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, भंदर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हिम्मतसिंह राठौड पुत्र भंवरसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी बी जे एस कॉलोनी जोधपुर तहसील जोधपुर को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

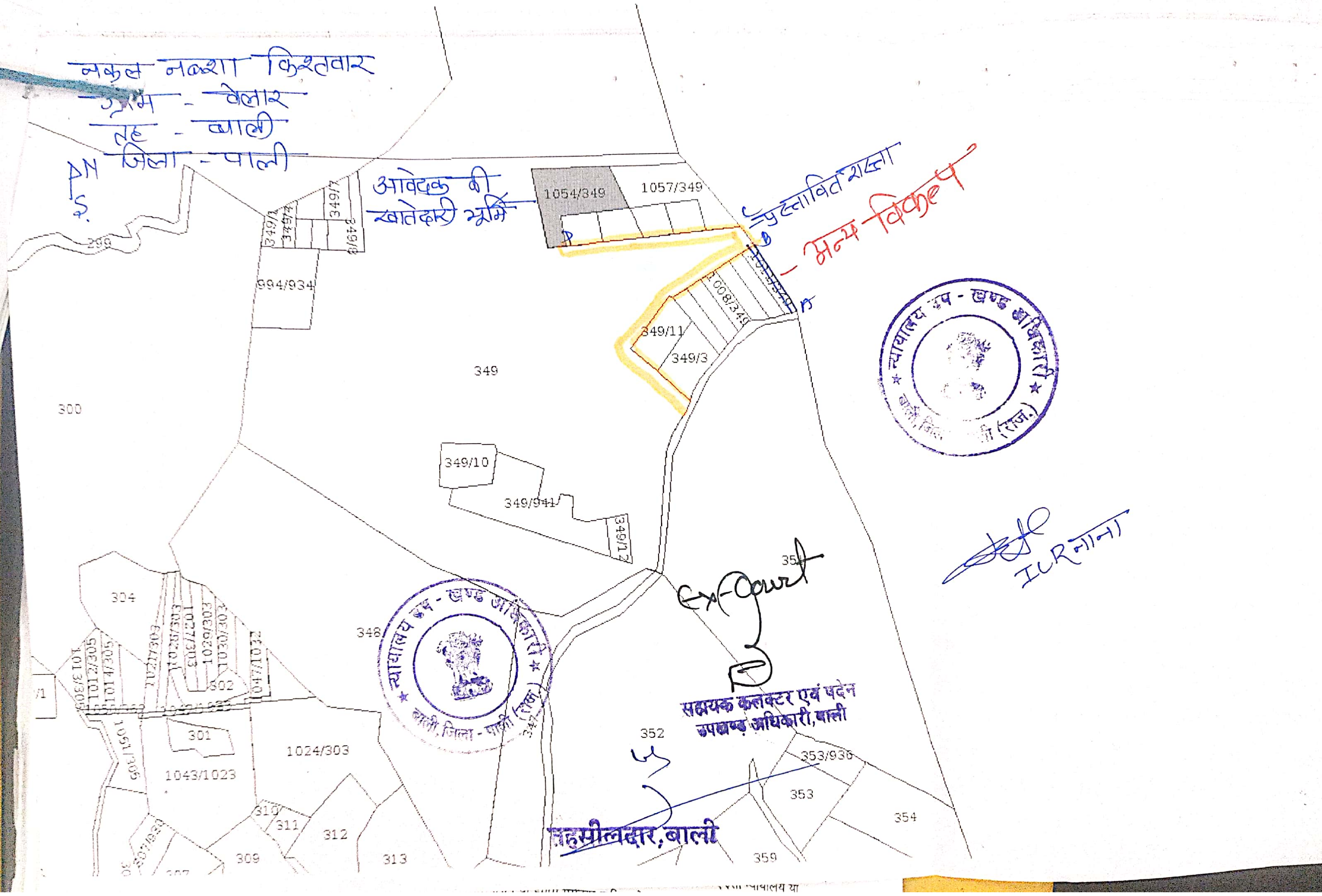

Scanned with CamScanner